

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 404 / 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025 /

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थी

प्रशासक ग्राम पंचायत सराणा पंचायत
समिति बालोतरा

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

:-आदेश:-

दिनांक 28/10/2025

संक्षिप्त में आवेदन-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रशासक ग्राम पंचायत सराणा पंचायत समिति बालोतरा द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सराणा की खसरा संख्या 1188/664 जेठमल पुत्र मुल्तानमल को खातेदारी भूमि आवंटित हुए थी। जेठमल के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज हुई। जेठमल के वारिसान द्वारा उक्त भूमि आगे बेचान रेखाराम को किया गया, रेखाराम द्वारा खरीद शुदा भूमि सड़क नहीं लगने के बावजूद मिलीभगत करते हुए गलत तरीके से भूमि की तरमीम सड़क से लगते हुए करवा दी गई, जो कि अशुद्ध तरमीम किए जाने के कारण निरस्त की जाकर पूर्व की स्थिति रेकर्ड में बहाल करवाने हेतु तहसीलदार पचपदरा से निवेदन किया गया।

तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रार्थी के आवेदन में वर्णित तथ्यों के आधार पर मौका एवं रेकर्ड की जांच करवाते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित प्रकरण न्यायालय हाजा को अग्रेषित किया गया।

प्रार्थी का आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। हमने प्रार्थी के आवेदन पत्र का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम सराणा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1188/664 क्षेत्रफल 1.0926 हैक्टर भूमि कालूराम, राजेन्द्र, लालचंद पिसरान जेठमल, रूपादेवी पत्नि जेठमल जाति महाजन के नाम खातेदारी दर्ज थी। उक्त खातेदारान द्वारा जरिए विक्रयपत्र दिनांक 23.5.2023 को सम्पूर्ण हिस्सा रेखाराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी सराणा तहसील पचपदरा को बेचान किया गया। उक्त विक्रयपत्र के पृष्ठ संख्या 03 के पैरा संख्या 7 में

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

स्पष्ट अंकन है कि विवादित भूमि के कोई ग्रामीण/मुख्य सड़क मार्ग नहीं लगता है, जो कि विक्रयपत्र की छायाप्रति अवलोकन से प्रतीत होता है। हल्का पटवारी द्वारा जारी प्रतिलिपि पी.35 क्रमांक 3471/02.08.2023 की छायाप्रति अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित भूमि की तरमीम विक्रयपत्र के अनुरूप सड़क मार्ग से दूर हो रखी है, जबकि विद्यमान नक्शा प्रति में विवादित भूमि की तरमीम सड़क से लगती हुए हो रखी है, जो कि अपने आप में अवैध तरमीम होना प्रतीत होता है। विद्यमान तरमीम किस सक्षम आदेश के की गई, ऐसा कोई पत्रावली पर दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित आराजी की तरमीम अवैध की गई है, जो कि प्रारम्भ से ही शून्य की श्रेणी में आने के कारण विद्यमान तरमीम बहाल रखी जानी विधि विरुद्ध है। इसके साथ तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है कि विवादित आराजी की तरमीम बिना सक्षम आदेश के की गई है, उक्त अशुद्ध तरमीम को निरस्त करवाने एवं परिशिष्ट ब के अनुरूप तरमीम दुरुस्त करवाने की अनुशंसा की गई है, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों से भली भांति साबित हो चुका है कि विवादित आराजी की तरमीम रिकॉर्ड से विपरीत जाकर अशुद्ध की गई है, जो कि तरमीम अपास्त होकर पूर्व की स्थिति बहाल होने योग्य है। ऐसी सूरत में आवेदन स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम-सराणा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1188/664 व 1500/664 की विद्यमान तरमीम निरस्त जाकर तहसीलदार पचपदरा के पत्रांक 1349/18.6.2025 के संलग्न परिशिष्ट ब मुताबिक तरमीम दुरुस्ती किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। मौका रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शा ब आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार रेकॉर्ड में तरमीम दुरुस्ती किया जाना सुनिश्चित करावे।



आदेश आज दिनांक 28.10.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा